वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

परियोजना का नामः– अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

क्षेत्रफल – 1·253 हे0(सिविल भूमि)

लम्बाई – 4.00 किमी0

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग

CHECK LIST

Name of Project : Construction of Nauli Bazar to Thapli Motor Road in district Chamoli Under Atal Adarsh Gram Yojana.

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
	1- Main Attachments		
1.1	Documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency.	5	Attached
1.2	Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted.	6	Attached
1.3	Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS.	7	Attached
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend.	8	Attached
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land.	9	Attached
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006	10-15	Attached
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation	16	Attached
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA.	17	Attached
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate	18-19	Attached
1.10	Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency.	20	Attached
1.11	Cost benefit anylises (in more then 5.0 ha. Land diversion cases)	-	**Not Required, as the Land Diversion is less than 5.0 HA**
	1- Additional Documents		
2.1	A short narrative and importance of the project.	21	Attached
2.2	Administrative and Financial sanction.	22-23	Attached
2.3	Preliminary Joint Inspection report.	24	Attached
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment of the proposed project.	25-28	Attached
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum.	29	Attached
2.6	Land schedule	30-32	Attached
2.7	Category wise land length, width and area	33	Attached
2.8	Bar Chart with index	34	Attached
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land	35-37	Attached
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation	38-39	Attached
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation	40	Attached
2.12	Road side plantation estimate	41	Attached

CHECK LIST

Name of Project : Construction of Nauli Bazar to Thapli Motor Road in district Chamoli Under Atal Adarsh Gram Yojana.

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation	42	Attached
2.14	Estimate of 100 trees plantation (less then 1.0 ha. cases)	-	**Not Required**
2.15	Details of the trees with their scientific name	43	Attached
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided)	-	**Not Required**
2.17	Certificate from DFO If felling of trees is not involved	-	**Not Required**
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work	44	Attached
2.19	Muck disposal scheme	45-60	Attached
2.20	Status of the project area is a part of National Park or sanctuary and airal distance of the project from National Park or sanctuary	61-62	Attached
2.21	If the project area is within 10 Km radius of National Park or Centuary No objection certificate of CCF Wild Life	-	**Not Required**
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF GoI.	-	**Not Required**
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg	63	Attached
2.24	NOC from local Gram Sabhas	64	Attached
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation.	-	**Not Required**
2.26	Component wise details of construction work.	-	**Not Required**
2.27	Certificate- work has not been started reg.	65	Attached
2.28	Geologist Report	66-68	Attached
2.29	Task Force report	69-70	Attached
2.30	Item wise details of work	71-72	
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition		Attached
2.32	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas	73	Attached
2.33	No historical/monumental or relegeous place will be effected.	74	Attached
2.34	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project	75	Attached
2.35	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project	76	Attached
2.36	Benefited villages/Families/Population Certificate	77	Attached
2.37	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders	78	Attached
2.38	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreem Court increses the rates of NPV	79	Attached
2.39	Cost of the forest land and lease rent certificate	-	**Not Required**
2.40	Certificate of Lease period	-	**Not Required**

CHECK LIST

Name of Project : Construction of Nauli Bazar to Thapli Motor Road in district Chamoli Under Atal Adarsh Gram Yojana.

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.41	Demarcation of land to be diverted	80	Attached
2.42	Undertaking of user agency to bear the cost for dimarcation work	81	Attached
2.43	Non-availibility of non-forest land for compensatory afforastation certificate.	-	**Not Required**
2.44	Fact sheet . /Other imp details	82-85	Attached

Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag

Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag

1.1

PWD Uttarakhand

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सातवॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Phone/Fax :- 01372-252173 E-mail :- sepwdgope@rediffmail.com

पत्रांक :- 4987/2 एमक दिनांक :- 17/12/2014

Certificate

Mr. Adarsh Gopal Singh Son of Shri. P.R. Singh is hereby authorized to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads of the Provincial Division, PWD, Karanprayag on the Government of India portal **www.forestclearance.nic.in** on behalf of the Superintending Engineer, 7th Circle, PWD, Gopeshwar (Chamoli).

17/12

Superintending Engineer
7th Circle, PWD,
Gopeshwar (Chamoli)

1.2

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत नौली बाजार से थापली मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km

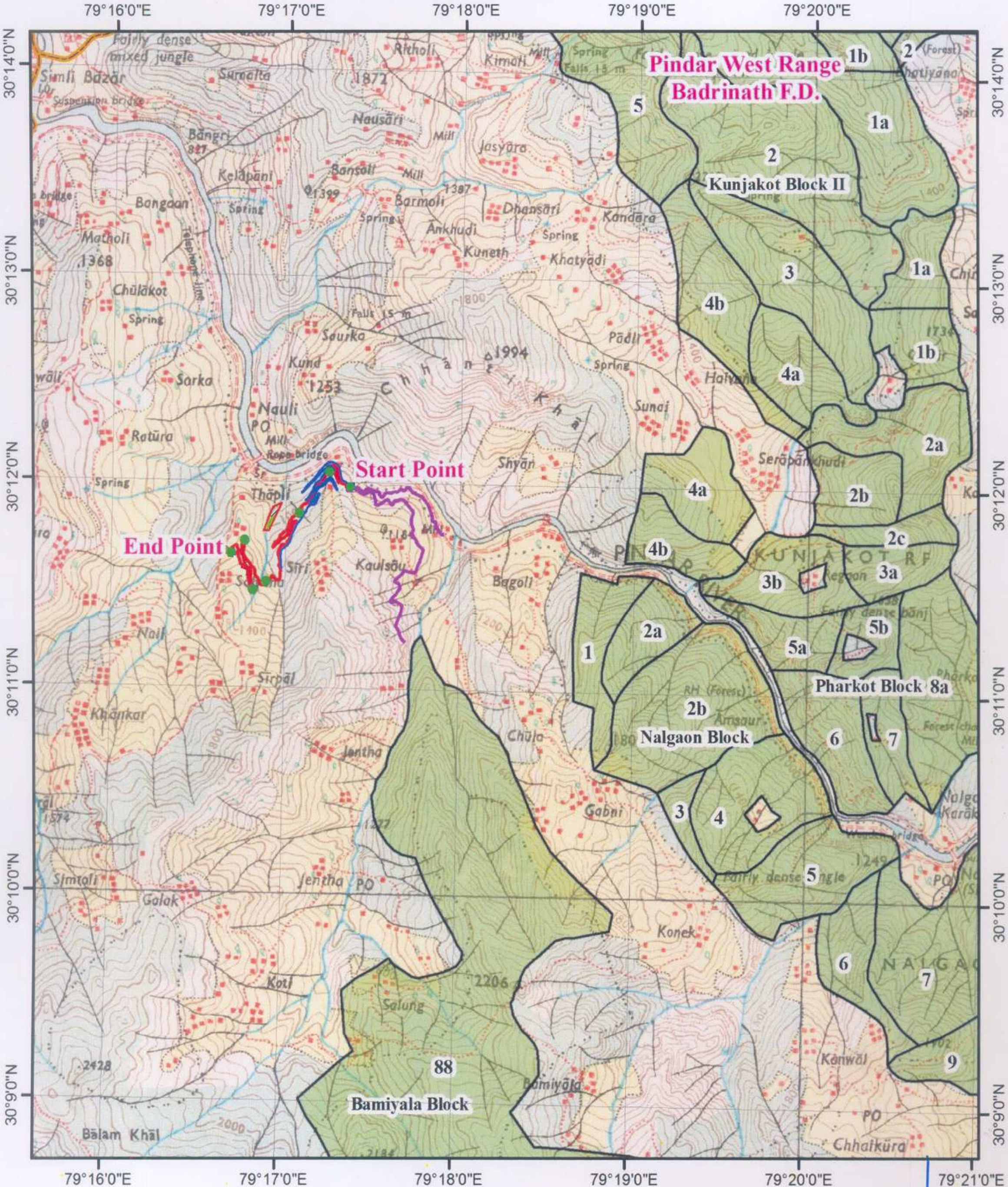

Legend

- Proposed Plantation
- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Alternate_Road
- Existing_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary

J.E

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

1.3

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत नौली बाजार से थापली मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु

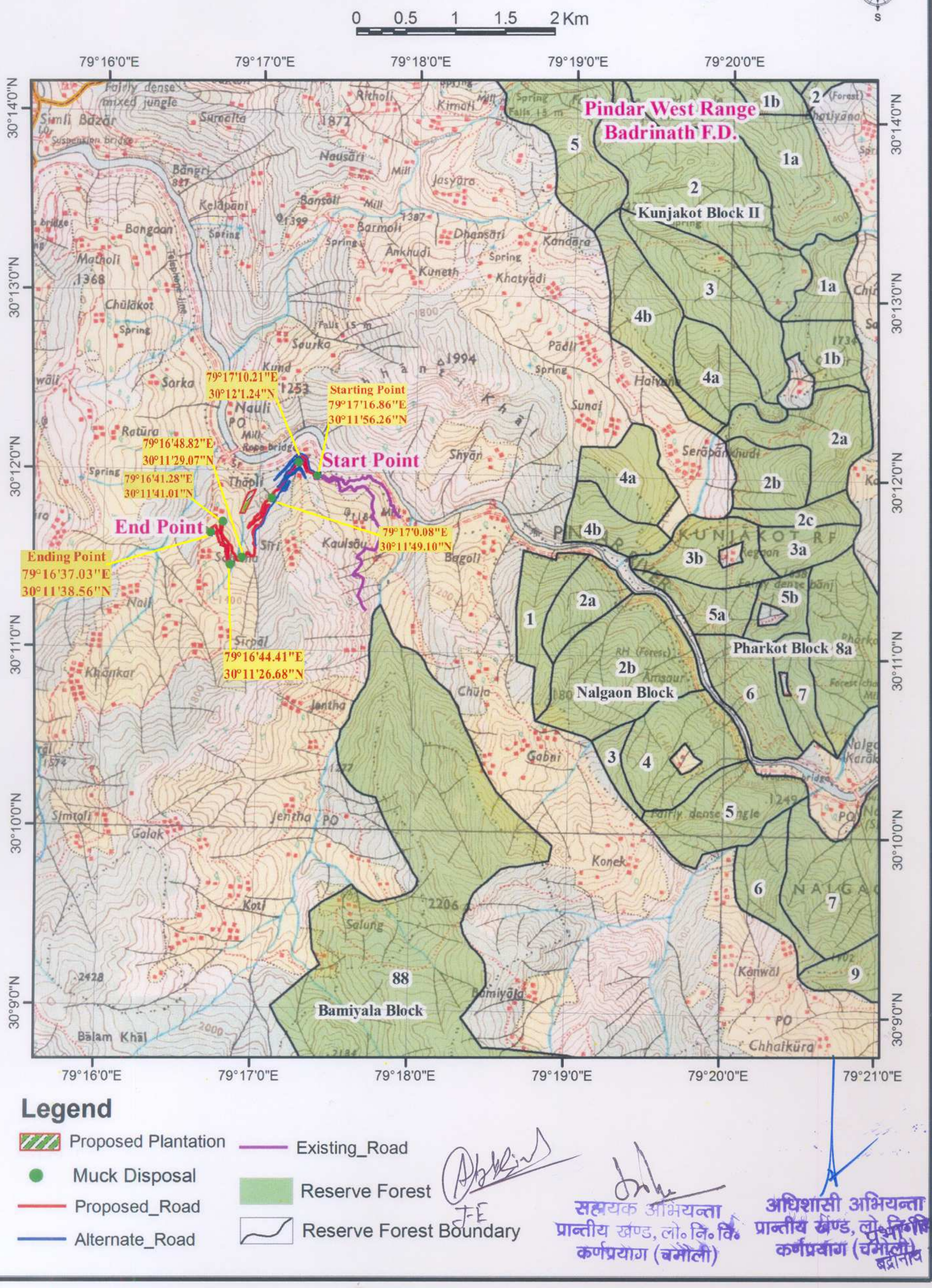

1.4

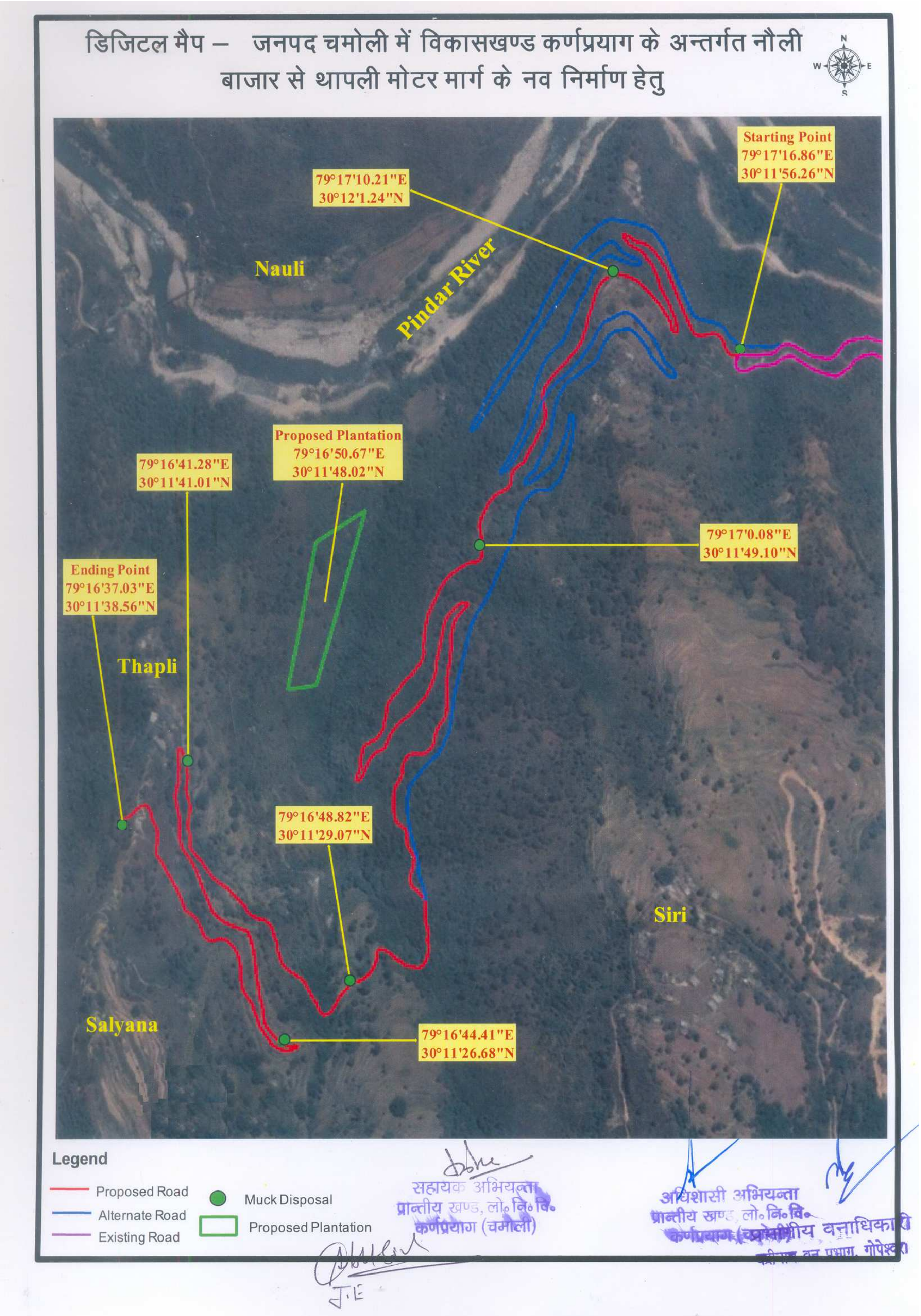

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत नौली बाजार से थापली मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु
N
W
E
S
Starting Point
79°17'16.86"E
30°11'56.26"N
79°17'10.21"E
30°12'1.24"N
Nauli
Pindar River
Proposed Plantation
79°16'50.67"E
30°11'48.02"N
79°16'41.28"E
30°11'41.01"N
79°17'0.08"E
30°11'49.10"N
Ending Point
79°16'37.03"E
30°11'38.56"N
Thapli
79°16'48.82"E
30°11'29.07"N
Siri
Salyana
79°16'44.41"E
30°11'26.68"N
Legend
Proposed Road
Alternate Road
Existing Road
Muck Disposal
Proposed Plantation
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०

1.5

Justification

Name of The Project : **Construction of Nauli bazar to thapli Motor Road under Atal gram sadak yojna.**

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of the village Thapli have to walk through a distance of 2 to 3 Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.

The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Green Vegetable, Onion etc. on their feet or by mules to the nearby market.

Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

1- Enhance the social and economical development of this area.
2- Migration of people from the village shall be minimized.
3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
5- Local people will find jobs near their village.
6- More women will get employment & will improve their economic situation.
7- Educational development in this area.
8- Hospital and medical facilities.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 1.253 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendry places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 1.253 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.

Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Karanprayag

Executive Engineer
Provincial Division PWD
Karanprayag

1.6(a)

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. / Dated : / /2014

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 1.253 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Nauli Bazar to Thapli Motor Road in district Chamoli Under Atal Adarsh Gram Yojana** falls within jurisdiction of Thapli Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

(a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.253 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,

(c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

1.6(b)

Annexure-I

Office of the District Collector, District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on .14-01-2015..... At 14:00 hrs at Chamoli in which the application claiming rights in village Thapli of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.253 Hectares for the **Construction of Nauli Bazar to Thapli Motor Road in district Chamoli Under Atal Adarsh Gram Yojana** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Sanjay Kumar
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

1.6(c)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली मे विकासखण्ड कर्णप्रयाग मे नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत नौली बाजार से थापली तक ...... X ......हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.353 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि X ..हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.353 हे0 वन भूमि) का लो0 नि0 वि0 .....प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 13-01-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वंन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री किशन सिंह नेगी ...... उपजिलाधिकारी ...... कर्णप्रयाग ...... अध्यक्ष

2– श्री शिवानन्द सुमन ..... उपप्रभागीय वनाधिकारी चमोली कर्णप्रयाग ..... सदस्य

3– श्री मोहन सिंह भण्डारी ..... सहायकसमाज कल्याण अधिकारी कर्णप्रयाग ..... सदस्य / सचिव

4– श्री महिपाल सिंह नेगी ...... वनाधिकार समीति सदस्य
श्रीमती सुशीला रावत ...... वनाधिकार समीति सदस्य (सुशीला रावत
श्री मालचन्द पुरोहित ...... वनाधिकार समीति सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी ...

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कर्णप्रयाग....... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुएं जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत गौली बाजार से आपदी तल्ला मोटरमार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.253 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
[stamp: उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग]

तहसील– कर्णप्रयाग

जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु।

[signature]

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद चमोली

1.6(d)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्रामपंचायत का नाम.....थापली

तहसील.कर्णप्रयाग..जिला.....चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.....चमोली.....अन्तर्गत....विकासखण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु ..(x).... हे0 आरक्षित वन भूमि,..1.253... हे0 सिविल सोयमभूमि,.......x.......हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात कुल ..1.253....हे0 वनभूमि का.....लो.नि.वि विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....थापली ..द्वारा दिनांक.10-1-15.को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्रामपंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वनअधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैरआदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैरआदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...थापली.... के ग्रामवासियो को उक्त वनभूमि.....लो.नि.वि.......... प्रयोक्ता एजेन्सी का परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सहीहै।

ह0/ ग्राम पचायत विकास अधिकारी
ग्रामसचिव ग्राम पंचायत ...थापली....
विकास खण्ड...... कर्णप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत थापली
ह0 ....
दिनांक ह0/ 12.01.15
ग्रामप्रधान
विकासखण्ड कर्णप्रयाग (चमोली)

नोट :–* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र मे दिया जाय।
उक्तप्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 10-1-15 को ग्राम सभा के सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत थापली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	जानकी प्रसाद	[illegible]
2-	बीना देवी	बीना देवी
3-	सीता देवी	सीता देवी
4-	वीरेन्द्र सिंह	[illegible]
5	बबली देवी	बबली देवी

प्रधान ग्राम पंचायत थापली
ह0 ...
ह0/– दिनांक ...
ग्रामप्रधान
वि0ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

1.7

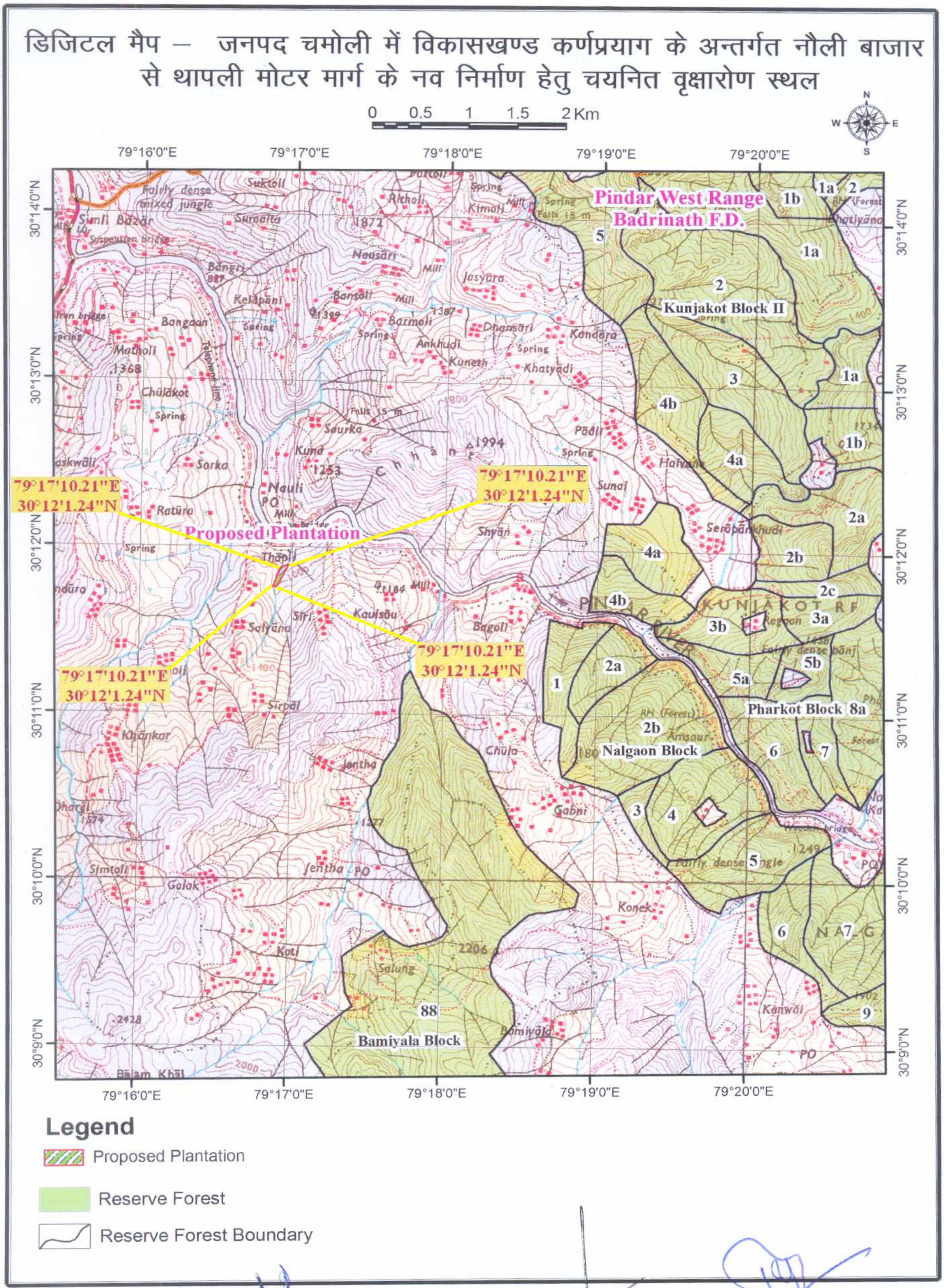

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग । चमोली ।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

1.8

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत नौली बाजार से थापली मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वृक्षारोण स्थल

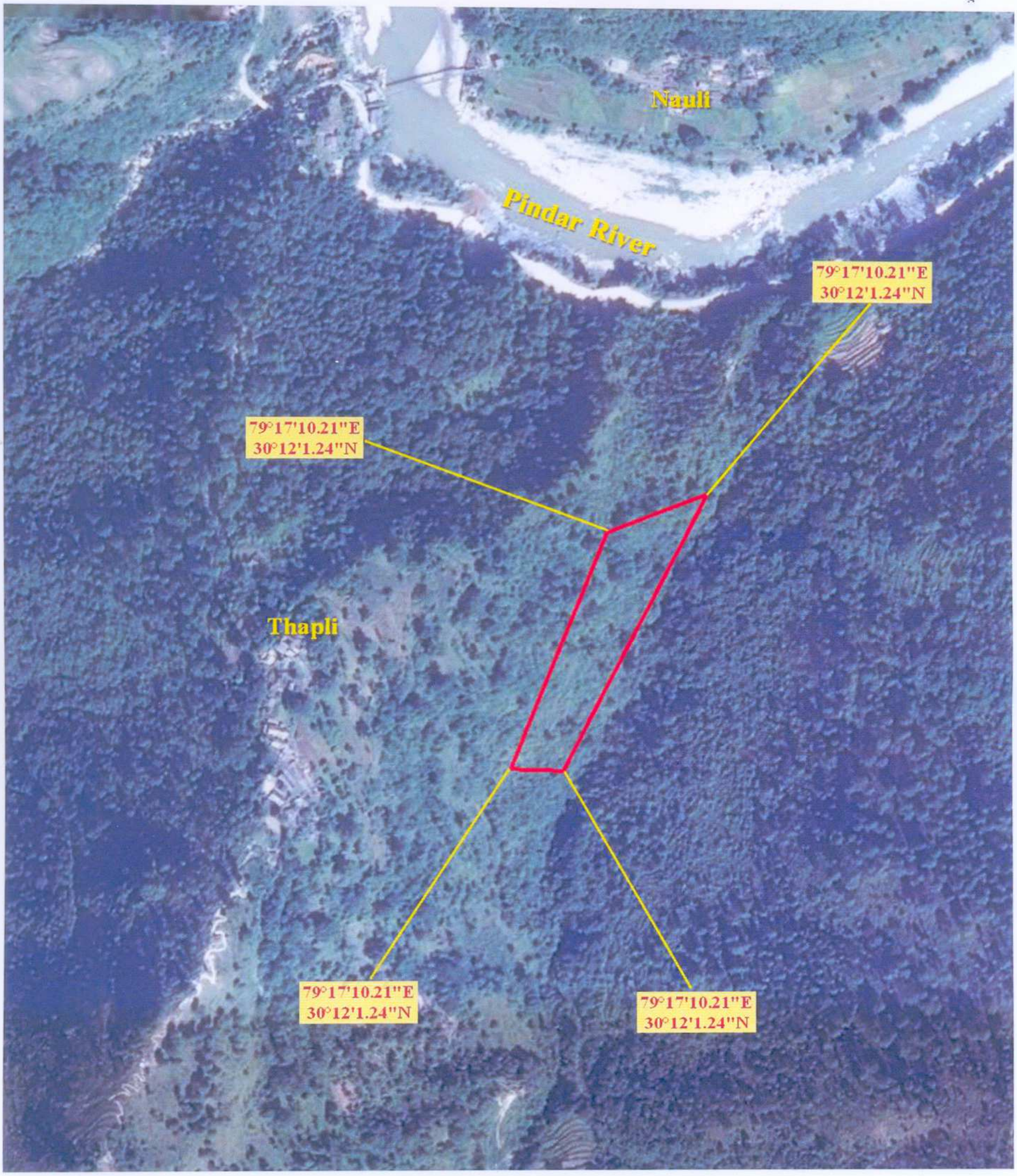

Legend

Proposed Plantation

J.E

सहायक अभियन्ता
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग [चमोली]

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

1.9

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
लो० नि० वि० कर्णप्रयाग
जनपद - चमोली

विषय - मोटर मार्ग निर्माण के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में,

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम थापली के मोटर मार्ग का सर्वेक्षण सही हुआ है, तथा हम अपनी नाप भूमि तथा बंजर भूमि देने के लिए सहमत है, ताकि मोटर मार्ग का निर्माण जल्दी से जल्दी प्रारम्भ हो सके।

अत: महोदय से विनम्र निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की महति कृपा कीजिएगा,

समस्त ग्रामवासी थापली -

1- श्री विनोद थपलियाल → [signature]
2- " सुनिल डिमरी → [signature]
3- " राकेश डिमरी → राकेश
4- " गिरीश डिमरी → गिरीश
5- " केशवानन्द थपलियाल → केशवानन्द
6- " धन्नानन्द थपलियाल → धनानन्द
7- " भवानी दत्त थपलियाल → [signature]
8- " प्रमोद थपलियाल → [signature]
9- " जानकी प्रसाद थपलियाल → [signature]
10- " रामचन्द्र थपलियाल → [signature]
11- " राजेन्द्र थपलियाल → [signature]
12- " शम्भू प्रसाद थपलियाल → [signature]
13- " राजेन्द्र मैखुरी → राजेन्द्र प्रसाद
14- " मुकेश थपलियाल → [signature]
15- " बलवन्त सिंह नेगी → [signature]
16- " रविन्द्र नेगी → [signature]
17- " बलवीर नेगी → बलवीर
18- " मनोज नेगी → [signature]
19- " संजय नेगी → संजय सिंह
20- " किशोर थपलियाल → [signature]

सदस्य क्षेत्र पंचायत थापली
कुलानन्द देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत थापली
वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

21- श्री वीरेन्द्र थपलियाल → [signature]
22- श्रीमती मन्जू देवी थपलियाल → मन्जू देवी
23- श्री चन्द्र वल्लभ सती → चन्द्रवल्लभ सती
24- " रामसिंह रावत → रामसिंह
25- " देवीलाल → देवी लाल
26- " सुरेन्द्र लाल → [signature]
27- " गोपाल लाल — गोपाल लाल
28- " चन्दू लाल — चंदु लाल
29- " बेनीलाल →
30- " कुलदीप →
31- श्रीमती सुमन थपलियाल → सुमन देवी
32- " शशी देवी → शशि देवी
33- " सुनीता देवी → सुनीता
34 " दीपा देवी → दीपा देवी
35 " सरस्वती देवी → Saraswati
36 " विनीता देवी → Bineeta
37- " माहेश्वरी देवी → माहेश्वरी देवी
38 " रजनी देवी → रजनी देवी
39- " जयन्ती देवी —
40 " शशीकला देवी → शशीकला
41 " प्रेमा देवी → प्रेमा
42 " उषा देवी → उषा देवी
43- " उमा देवी → उमा देवी
44- " गुड्डी देवी → गुड्डी देवी
45- " हेमलता देवी → Hemlata
46- " रीना देवी → रीना देवी
47 " सीमा देवी → सीमा देवी
48- " देवी प्रसाद थपलियाल
49- " चण्डी प्रसाद थपलियाल — [signature]
50- " दिवाकर प्रसाद थपलियाल [signature]
51- " विवेक थपलियाल [signature]
52- बिमला देवी — बिमला देवी
53 राजेश्वरी — राजेश्वरी
54- जयन्ती देवी
55. पिंकी — पिंकी — जयन्ती देवी
56 सन्दीप थपलियाल — [signature]
57 सुमित थपलियाल — Sumit
58 अरुण चन्द [signature]
59 कमला [signature]
60- दीपक थपलियाल — Deepak

बद्री प्रसाद — बद्री थपलियाल

[signature]

1.10

ग्राम सभा कौल्सों का अनापत्ति प्रमाण पत्र,

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग द्वारा नौली बाजार से ग्राम थापली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो सरेखण, बगोली कोटी मोटर मार्ग के कि.मी. 1.150 जयपुर बैण्ड से थापली तक किया गया है, उस पर हम समस्त ग्रामवासी, अपनी निजी भूमि व सिविल सोयम भूमि लो.नि.वि.को सरकारी दरों पर देने को तैयार है, एवम् समरेखण से पूर्ण रूप से सहमत है।

प्रधान ग्राम पचांयत कौल्सों

(1)
(2)
(3) Sanjay
(4)
5 Bhanu
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14) लोकाराम
(15)
(16) महावीर सिंह

ग्राम पंचायत कौल्सों
दि० 7/6/10

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः— अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद चमोली में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए यातायात का होना अति आवश्यक है, यातायात न होने के कारण इस क्षेत्र का विकास बिलकुल नही हो सकता है। इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए यहां मार्ग निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। यह क्षेत्र यातायात से वंचित होने के कारण काफी पिछडा क्षेत्र है। पिछडा क्षेत्र होने के कारण शा.स. 337/III(2)/09-43(ग्रा.आ0)/2009 दि 12-3-2010 के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। यहां के लोगों को अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने के लिए मीलों दूर पैदल जाना पडता है। तथा सामान को अपनी पीठ पर ढोना पडता है जिससे समय अनावश्यक नष्ट हो जाता है।

यातायात की सुविधा इस क्षेत्र में उपलब्ध होने से फसलों की कीमत अच्छी मिलने की सम्भावना होगी। क्षेत्र वासियों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। भविष्य में यह क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों से मिलने के कारण यह पर्यटक के लिए मार्ग वन सकता है। इस क्षेत्र में यातायात होना आति आवश्यक है। इस मार्ग निर्माण से ग्रम वासियों को कोई आपत्ति नही है। इस सम्बन्ध में पूर्व में ही क्षेत्र वासियों से भी सम्पर्क किया गया है। यह मार्ग लम्बाई में जाने से क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। यह क्षेत्र जडी बूटी का भी केन्द्र व पर्यटन स्थल बनने की सम्भावना है।

अमीन 15/3
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

2.2 (a)

संख्याः– 337 / III(2)/09–43(प्रा0आ0)/2009

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः 12 मार्च, 2010

लोक निर्माण अनुभाग–2

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–10 में अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी तथा मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र लो0नि0वि0 अल्मोड़ा द्वारा अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आगणनों की संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यो की आंकलित धनराशि रू0 4745.94 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 4680.96 लाख (छियालीस करोड़ अस्सी लाख छियानवे हजार) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख स्तम्भ–5 के अंकित विवरणानुसार कुल 2.70 लाख (दो लाख सत्तर हजार) की धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यय करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति
2. नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/... चित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से
3. प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय
4. कदापि न किया जाय।

एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम
5. प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक
6. निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य
7. करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

आगणन मे जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद
8. का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा
9. उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री का प्रयोग मे लाया जाय।

स्वीकृत किये जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय
10. समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायगा।

P.C. attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

2.2 (b)

शासनादेश सं0: 337/ III(2)/09–43(प्रा0आ0)/2009 दिनांक 12 मार्च, 2010 का संलग्नक

	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित लागत (लाख में)	स्वीकृत की जा रही टोकन धनराशि (लाख में)
	02	03	04	05
	जनपद पौडी गढवाल में अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत दुगीमाण्डई मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10.00	350.00	0.10
02	जिला पौडी गढवाल में विधानसभा यमकेश्वर के अन्तर्गत नैलूसैण–सिलोगी –बंदरगाड मोटर मार्ग के जाखणीखाल नामक स्थान से न्याय पंचायत मुख्यालय ग्राम ठठोली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	105.00	0.10
03	अटल आदेश योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में नाघर से कुमलता मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	183.75	0.10
04	अटल आदेश योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में रौडीपाली रसियापाटा से मोडी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	183.75	0.10
05	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में काण्डा–सानिउडियार– गयतसेरा मो0मा0 के किमी0 27 से खातीगॉव तक लिंक मो0मा0 का निर्माण।	2.00+ 60 मी0 स्टील गर्डर पुल	259.50	0.10
06	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत नौली बाजार से थापली तक मो0मा0 का नवनिर्माण कार्य।	7.00	257.25	0.10
07	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 चिन्यालीसौड में धरासू बैण्ड से चमियारी मरगांव में वैकल्पिक मो0मा0 का निर्माण।	0.050	23.89	0.10
08	जनपद पौड़ी गढ़वाल में अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत सिराई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	105.00	0.10
09	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में ग्राम दिखोलगाव से न्याय पंचायत मुख्यालय डडूर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.00	70.00	0.10
10	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तगत जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वांग को मोटर मार्ग से जोड़े जाने का कार्य।	7.00 किमी0 + 24 मी0 स्पान सेतु	330.74	0.10
11	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी विकासखण्ड बीरोंखाल में न्याय पंचायत कोटा मुख्यालय को मार्ग से जोड़े जाने का कार्य।	4.00	140.00	0.10
12	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी विकासखण्ड द्वारीखाल में डाबर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	105.00	0.10
13	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी में विकासखण्ड नैनीडांडा में न्याय पंचायत कमेड़ा मुख्यालय को मार्ग से जोड़े जाने का कार्य।	8.00	280.00	0.10
14	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी में न्याय पंचायत ग्राम [illegible] मार्ग का निर्माण।	2.50	87.50	0.10
15	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में चम्पावत–मच–तामली मोटर मार्ग के किमी0 04 से न्याय पंचायत सिमल्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00किमी0 + 5 लघु सेतु (6मी0)	244.00	0.10
16	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में देवीपुरा–सौड़ (पी0एम0जी0एस0वाई0) के किमी0 7 से डोला न्याय पंचायत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	4.00	140.00	0.10

ह0 अपठनीय

P. e. attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)

2.3

प्रारुप–6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनाँक 11/01/2011 को लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग (एजेन्सी का नाम) के द्वारा अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक बनाये जाने वाले मोटर मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री संजीव कुमार ... राजस्व विभाग की ओर से श्री नवल किशोर मिश्र (पटवारी), प्रस्तावक विभाग की ओर से श्रीमती प्रजा नेगी (कनि०अभि०), अन्य दावेदारों की ओर से श्री सुनील डिमरी तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में श्री विनोद थप्लियाल के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखन के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें. 2210 (मी0) नाप भूमि , सिविल भूमि 1790 (मी0) वन पंचायत से शून्य (हे0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में नाप भूमि 1.547 हे0,सिविल भूमि 1.253 हे0 वन पंचायत भूमि शून्य . हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.80 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी ।

इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 53 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होगें ।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें. 1714 मी0, नाप भूमि. 2650 सिविल भूमि ~ मी0, वन पंचायत से, मी0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 1.19 हे0 नाप भूमि 1.85 हे0, सिविल भूमि ... हे0 वन पंचायत भूमि शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.04 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 145 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन ......x......कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन..x.........है एवं इन कक्षों में............x..... प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि ग्राम कोल्सो एवं थापली पर विभिन्न प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन.....–.....है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान N 30°11'946" E 79°17'278" है तथा तथा समरेखण का अन्तिम स्थल थापली है जिसका GPS मान N 30°11'650" E 79°16'633"है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान 30°11'994"N, 79°17'223"E, 30°11'859"N,79°17'026"E, 30°11'662"N,79°16'854"E, 30°11'773"N,79°16'773"E, 30°11'543"N,79°16'896"E, 30°11'590"N, 79°16'693"E, 30°11'524"N 79°16'724"E ,N 30°11'588" 79°16'657"हैं।

चयनित समरेखन में कुल 53 .पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है/ नही है ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा / नही होगा ।

इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु संलग्न योजनानुसार स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 30°11'949"N,79°17'270"E, 30°12'025"N 79°17'184"E, 30°11'823" N,79°16'995"E, 30°11'717" N,79°16'900"E , 30°11'501" N,79°16'831"E, 30°11'656" N,79°16'693"E, 30°11'451" N,79°16'745"E, 30°11'652" N,79°16'642"E.

अन्य आवश्यक विवरण ....

हस्ताक्षर (प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (वन विभाग) प्रतिनिधि उप क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रा० नारायणबगड़	हस्ताक्षर (राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (अन्य दावेदार) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

2.4

Performa for comparison between identified alignments

कार्य का नाम :– अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	2	3	4
1	Topography	Road is proposed to connect Thapli village .Alignment is proposed to start from Km 2 of Bagoli koti road,	Same as Alignment No. 1.
2	**Length of Road**	4.00 Km	4.00 Km
3	**Bridging requirement No. and Length**	Nil	Nil
4	**Geometric**		
	(a) Gradients	1:18, 1:20, 1:24 & 1:40	1:15, 1:18 & 1:20
	(b) Curves, H.P Bends	Numbers 6 of HP Bands	Numbers of 6 HP Bands
5	**Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.**	Mule Path & Foot Tracks	Mule Path & Foot Tracks
6	**Right of way, bringing out. construction on account of built up areas, monuments and other structures.**	Right of way is available for carrying out the construction work. Thare are no built up area, monuments of other important structures along this alignment.	Right of way is available for carrying out the construction work. Thare are no built up area, monuments of other important structures along this alignment.
7	**Terrain & Soil Condition**		
	(i) Nature of soil	(i) The terrain is hilly and the soil is a mix of Earth and Boulders, Soft Roack, Hard Rock & Very Hard Rock	(i) The terrain is hilly and the soil is a mix of Earth and Boulders, Soft Roack, Hard Rock & Very Hard Rock
	(ii) Cliffs and gorges.	(ii) None	(ii) None
	(iii) Drainage characteristics of the area including supceptibility to flooding	(iii) The Natural Drainage characteristics of the area is good and there is no susceptiblitity to flooding	(iii) The Natural Drainage characteristics of the area is good and there is no susceptiblitity to flooding
	(vi) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and discends	(iv) The elevation at the starting point of the road is 980 m and the elevation at the end point of the road is 1185 m. Thus the road achieves a height of 205 m.	(iv) The elevation at the starting point of the road is 930 m and the elevation at the end point of the road is 1185 m. Thus the road achieves a height of 255 m.
	(v) Variations extants and types	Nil	Nil
8	**Climate Condition**		
	(a) Temperature Monthly max. & min. reading.	(a) Temperature Monthly max. & Min. reading.	(a) Temperature Monthly max. & Min. reading.

Month	Alignment No-1 Temperature (in ^{0}C) Max.	Alignment No-1 Min.	Alignment No-2 Temperature (in ^{0}C) Max.	Alignment No-2 Min.
January	20	-1	20	-1
February	25	8	25	8
March	28	10	28	10
April	30	15	28	15
May	35	20	35	20
June	38	24	38	24
July	34	19	34	19
August	28	17	28	17

Performa for comparison between identified alignments

कार्य का नाम :– अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

Sl.No	Variables	Alignment No-1			Alignment No-2		
1	2	3			4		
		September	28	13	September	28	13
		October	18	9	October	18	9
		November	21	5	November	21	5
		December	18	-1	December	18	-1
	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available)	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution			(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution		
		Month	Average Rainfall data (in mm)		Month	Average Rainfall data (in mm)	
		January			January	50	
		February	33		February	33	
		March	28		March	28	
		April	25		April	25	
		May	20		May	20	
		June	161		June	161	
		July	350		July	350	
		August	305		August	305	
		September	210		September	210	
		October	90		October	90	
		November	7		November	7	
		December	40		December	40	
	(c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available)	(c) Snowfall fall data average annual peak intensities monthly distribution			(c) Snowfall fall data average annual peak intensities monthly distribution		
		Month	Average Snowfall data (in mm)		Month	Average Snowfall data (in mm)	
		January	60		January	80	
		February	10		February	12	
		March	-		March	-	
		April	-		April	-	
		May	-		May	-	
		June	-		June	-	
		July	-		July	-	
		August	-		August	-	
		September	-		September	-	
		October	-		October	-	
		November	-		November	-	
		December	80		December	100	
	(d) Wind direction and velocities.	(d) Towards north – east @ 20 km / h			(d) Towards north – east @ 20 km / h		
	(e) Fog Condition	(e) Nil			(e) Nil		

Performa for comparison between identified alignments

कार्य का नाम :– अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	2	3	4
	(f) Exposure to sun	(f) The site is exposed to sun throughout the year.	(f) The site is exposed to sun throughout the year. Except 2 to 3 Months.
	(g) Unusual weather condition like cloud brust etc	(g) There is no record of unsual weather condition like cloud brust in the area where the site is located.	(g) There is no record of unsual weather condition like cloud brust in the area where the site is located.
9	**Facilities resources.**		
	(a) Landing ground.	(a) None	(a) None
	(b) Dropping Zone.	(b) At site	(b)Atsite
	(c) Food stuffs.	(c) Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc	(c) Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc
	(d) Labour local availability and need for import.	(d) Local labour is available for costruction work.	(d) Local labour is available for costruction work.
	(e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved	(e) Stone require for the costruction work shall be made available locally as it shall be obtained from hill side cutting, However, Sand requried for the construction work shall be procured from the approved quarry.	(e) Stone require for the costruction work shall be made available locally as it shall be obtained from hill side cutting, However, Sand requried for the construction work shall be procured from the approved quarry.
10	**Value of land, agricultural land, Irrigated land, bult up land, forest land etc,**	Value of the land required for the construction of the road in this alignment is as under- As per current Govt. Rate	Value of the land required for the construction of the road in this alignment is as under- As per current Govt. Rate
11	**Approximate Const. Cost.**	Rs.257.25 Lacs	Rs. 280.50 Lacs
12	**Access point indicating possibility of induction of equipment.**	Access point available for induction of equipment	Access point available for induction of equipment
13	**Period required for construction.**	18 Months	20 Months
14	**Strategic Consideration.**	Deployment of skilled manpower and efficient equipment/ Machinery shall be made for completion of the project.	Deployment of skilled manpower and efficient equipment/ Machinery shall be made for completion of the project.
15	**Important villages, towns and markets centers to be connected.**	The road shall provide connectivty to village Kolso and Thapli with a population of numbers.	The road shall provide connectivty to village kolso and Thapli a population of numbers.
16	**Recreational potential.**	Nil	Nil
17	**Economic Factors:**		
	(a) Population served by the alignment.	(a) 671	(a) 671

Performa for comparison between identified alignments

कार्य का नाम :– अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	2	3	4
	(b) Agricultures and economic potential of the area.	(b) Transporation lof the cultivated crops by mechanical means (i.e. through road) shall enchance the economical condition of the people residing in this area. Potential of the development of animal husbandry.	(b) Transporation lof the cultivated crops by mechanical means (i.e. through road) shall enchance the economical condition of the people residing in this area. Potential of the development of animal husbandry.
18	**other major development projects being taken up electric projects etc.**	None	None
19	(i) Misc. Such as camping sites (ii) Law and other problem	(i) Nil (ii) There is no significant law and order problem in the area and the loacl administration takes care of such matters.	(i) Nil (ii) There is no significant law and order problem in the area and the loacl administration takes care of such matters.
	(iii) Royalty	(iii) Royalty is paid to the Revenue Department.	(iii) Royalty is paid to the Revenue Department.
	(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material	(iv) Available	(iv) Available
	(v) working period available for construction of work.	(v) 09 Months	(v) 07 Months
20	**Total No. of Trees to be removed .**	53 Numbers	145 Approximately Numbers
21	**Average Density of forest cover .**	0.4 (Dense Forest)	0.7 (Dense Forest)
22	**Total No. of Merits**	20	13
23	**Total No. of Demerits**	0	7

RECOMMENDATIONS :
Alignment no.-1 is recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.

J.E A.E E.E

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

2.5

परियोजना का नामः– अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 1.253 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

अमीन लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि.	सहायक अभियन्ता लो.नि.वि.	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

पटवारी क्षेत्र	तहसीलदार	उपजिलाधिकारी उपजिला अधिकारी कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी वन क्षेत्राधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)

जिला अधिकारी
चमोली

प्रतिहस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
चमोली

2.6(a)

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

परियोजना का नामः— अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा सं0	कुल रकवा	याचित क्षेत्रफल (हे0)
चमोली	कर्णप्रयाग	कोटनेसौं	17	0.394	0.394 हे0
		थापली	13	0.859	0.859 हे0
				योग –	1.253 हे0

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

प्रतिहस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
चमोली

2.6(b)

"राज्य भूमि खसरे की नकल"

कार्य का नाम:- अटल आदर्श योजना के अन्तर्गत नौली-व्यापली मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि हस्तान्तरण

ग्राम- कोलसों पट्टी- बिचला चाँदपुर, तहसील- कर्णप्रयाग, जिला- चमोली

क्र0 सं0	खसरा नं0	कुल रकबा	लिया गया रकबा	खाता नं0	नाम भूमिधर	बौरमजरूवा		विवरण
						अराजि	रकबा	
	134 क	0.297	0.030	35	उत्तराखण्ड सरकार	चरागाह	0.030	
	136 क	0.770	0.080	36	—"—"—	बंजर	0.080	
	173 क	0.023	0.015	38	—"—	ऊसर	0.015	
	197 क	0.192	0.035	36	—"—	बंजर	0.035	
	202 क	0.085	0.010	35	—"—	चरागाह	0.010	
	260 क	0.065	0.010	36	—"—	बंजर	0.010	
	271 क	0.075	0.030	36	—"—	बंजर	0.030	
	272 क	0.053	0.020	36	—"—	बंजर	0.020	
	278 क	0.520	0.025	36	—"—	बंजर	0.025	
[illegible]6	289 क	4.142	0.020	36	—"—	बंजर	0.020	
1	320 क	2.976	0.020	36	—"—	बंजर	0.020	
2	321 क	0.405	0.030	26	—"—	झाड़ी	0.030	
3	322 क	0.070	0.015	36	—"—	बंजर	0.015	
1	343 क	0.111	0.010	34	—"—	रास्ता	0.010	
	381 क	0.059	0.004	36	—"—	बंजर	0.004	
6	394 क	0.111	0.020	36	—"—	बंजर	0.020	
7	1128 क	1.147	0.020	26	—"—	झाड़ी	0.020	
	योग:- 0.394 है0						0.394 है0	

कनिष्ठ अभियंता लो0नि0वि0

सहायक अभियंता लो0नि0वि0

अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

पटवारी क्षेत्र व्यापली

तहसीलदार कर्णप्रयाग

उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग

तहसीलदार कर्णप्रयाग (चमोली)

2.6(c)

(84)

"राज्य भूमि खसरे की नकल"

कार्य का नाम:- उत्तम आदर्श योजना के अन्तर्गत नौली-धापली मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि हस्तान्तरण

ग्राम- धापली पट्टी ... चाँदपुर, तहसील- कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

क्रम सं०	खसरा नं०	कुल रकबा	लिया गया रकबा	खाता नं०	नाम भूमिधर	बौरमजरूआ किस्म	बौरमजरूआ रकबा	विवरण
1	226 क	0.975	0.045	12	उत्तराखण्ड सरकार	बंजर	0.045	
2	227 क	1.519	0.063	12	—"—	बंजर	0.063	
3	233 क	0.244	0.099	12	—"—	बंजर	0.099	
4	243 क	0.735	0.280	12	—"—	बंजर	0.280	
5	1055 क	0.526	0.010	12	—"—	बंजर	0.010	
6	1058 क	0.536	0.030	12	—"—	बंजर	0.030	
7	1059 क	0.406	0.003	13	—"—	रौली	0.003	
8	1074 क	2.016	0.230	32	—"—	भीटा	0.230	
9	1075 क	0.685	0.068	32	—"—	भीटा	0.068	
10	1077 क	0.080	0.006	2	—"—	बंजर	0.0[illegible]	
11	1078 क	0.036	0.006	32	—"—	भीटा	0.006	
12	1079 क	0.071	0.004	13	—"—	रौली	0.004	
13	1080 क	0.080	0.015	32	—"—	भीटा	0.015	
	योग :-		0.859 है०				0.859 है०	

अवर अभियन्ता लो०नि०वि०

सहायक अभियन्ता लो०नि०वि० कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० कर्णप्रयाग

पटवारी क्षेत्र धापली

तहसीलदार कर्णप्रयाग

उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग

उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग

2.7

परियोजना का नामः— अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

परियोजना की लम्बाई—चौड़ाई का प्रमाण—पत्र।

सिविल / वन पंचायती वन भूमि की लम्बाई 1790 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर कुल 12530 वर्ग मीटर अर्थात 1.253 हे0 है।

वन पंचायती भूमि— शून्य,

सिविल भूमि— 1.253 हे. लम्बाई 1790मी॰ चौ॰ 7 मी॰ = 1.253 हे॰

नाप भूमि— 1.547 हे. लम्बाई 2210मी॰ चौड़ाई 7मी॰ = 1.547 हे॰

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

2.8

बार चार्ट

कार्य का नाम :: अटल आदर्श योजना के अन्तर्गत नौली-थापली मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल वन भूमि हस्तान्तरण

संकेत

(नारंगी)	नाप भूमि
(पीला)	सिविल भूमि

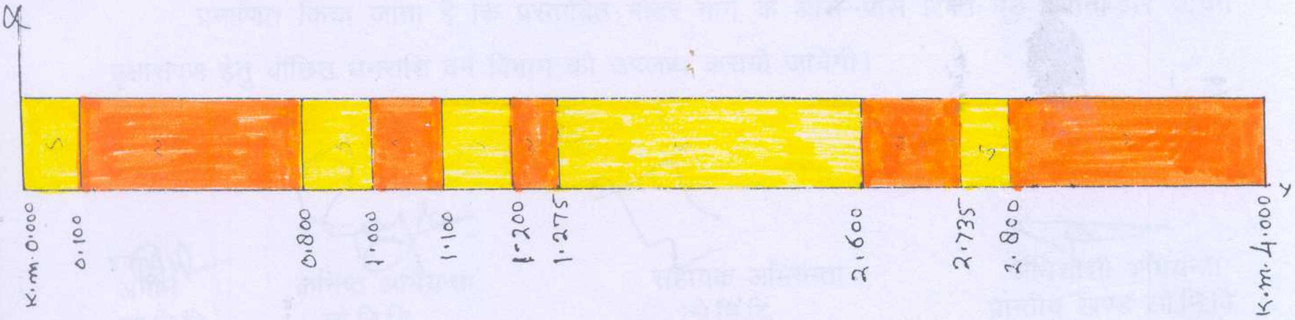

अमीन
लो०नि०वि०

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

2.9 (a)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

1– परियोजना का नाम :– जनपद–चमोली में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0को हस्तान्तरण का प्राक्कलन।

2– वृक्षारोपण स्थल का नाम :– थापली सिविंल।

3– क्षेत्रफल :– परियोजना का क्षेत्रफल = (1.253 X 2) है0 2.506 है0।

4– रोपित किये जाने वाले कुल पौधों की संख्या (2.506 × 2000)= **5,012** पौध।

5– रोपित की जाने वाली प्रजातियां:– सुरई, बांज, देवदार।

क0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0) प्रति	योग
1	2	3	4	5	6
(1)	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य :–				
1	सर्वे एवं सीमांकन	2.506	है0	78.00	195.00
2	स्थल सफाई कार्य	2.506	है0	2543.00	6,373.00
3	दीवालबन्दी कार्य / फैन्सिम	2.506	है0	15,309.00	38,364.00
4	गड्ढा खुदान कार्य (0.30×0.30×0.45)	5,012	गड्ढें	5.42	27,165.00
6	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	5,012	पौधे	4.30	21,552.00
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य	2.506	है0	6,240.00	15,637.00
8	निरीक्षण बटिया बनाना	2.506	है0	624.00	1,564.00
	योग– प्रथम चरण				**1,10,850.00**
(2)	**द्वितीय वर्ष रोपण कार्य :–**				
1	झाडी कटान (लैन्टाना गाजर घास / काला बांस	2.506	हे0	1,287.00	3,225.00
2	गड्ढा भरान कार्य डी0ए0पी0 मिलाने सहित	5,012	गड्ढे	0.97	4,862.00
3	पौध ढुलान कार्य	5,012	पौधे	6.00	30,072.00
4	पौध रोपण कार्य	5,012	पौधे	1.89	9,473.00
5	पौधों की प्रथम निराई–गुडाई मलचिंग कार्य	5,012	पौधे	1.29	6,465.00
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	5,012	पौधे	1.11	5,563.00
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	5,012	पौधे	1.20	6,014.00
8	वाचर (चौकीदार प्रथम वर्ष रोपण वर्ष) 8 माह	2.506	8माह	468.00	9,382.00
9	अन्य विविध व्यय	2.506	—	780.00	1,955.00
10	संकेत पट्ट की कीमत कार्य स्थल तक ढुलान सहित	ल0स0	——	——	5,000.00
11	संकेत पट्ट को ग्रोटिंग कर लगाना	ल0स0	——	——	1,000.00
	योग– द्वितीय चरण				83,011.00

3– तृतीय वर्ष– 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीटिंग अप) प्रति है0 (रू 156 / प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार)

क0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर	प्रति है0 व्यय (2000पौध)	अभ्युक्ति
1	पौध की लागत	5,012	5.50	2,757.00	10% पौध
2	पौध ढुलान	सं0	6.00	3,007.00	——ऐ——
3	पुनः गडढा खोदना एवं रोपण कार्य	सं0	3.20	16,04.00	——ऐ——

2.9 (b)

4	गडढों में गोबर खाद डालना ढुलान सहित	सं0	1.33	6,67.00	——ऐ——
5	शीतकाल में मलचिंग कार्य	सं0	1.11	5,56.00	——ऐ——
6	वनीकरण चौकीदार	2.506है0 प्रति वर्ष 12 माह	468रू0 प्रति है/माह	14,074.00	प्रति है0 प्रति वर्ष
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	2.506 है0	310.00	777.00	
	योग—		योग—	**23,452.00**	
			या—	**23,450.00**	

4— चौथे वर्ष— (रू 156/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार)

क0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर	प्रति है0 व्यय (2000पौध)	अभ्युक्ति
1	वनीकरण चौकीदार	2.506 है0 प्रति वर्ष	468रू0 प्रति है/माह	14,074.00	प्रति है0 प्रति वर्ष
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	2.506 है0	310.00	777.00	
			योग—	**14,851.00**	
			या—	**14,850.00**	

5— पांचवें वर्ष— (रू 156/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार)

क0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर	प्रति है0 व्यय (2000पौध)	अभ्युक्ति
1	वनीकरण चौकीदार	2.506है0 प्रति वर्ष	468रू0 प्रति है/माह	14,074.00	प्रति है0 प्रति वर्ष
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	2.506 है0	310.00	777.00	
			योग—	**14,851.00**	
			या—	**14,850.00**	

6— छठे वर्ष— (रू 156/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार)

क0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर	प्रति है0 व्यय (2000पौध)	अभ्युक्ति
1	वनीकरण चौकीदार	2.506 है0 प्रति वर्ष	468रू0 प्रति है/माह	14,074.00	प्रति है0 प्रति वर्ष
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	2.506 है0	310.00	777.00	
			योग—	**14,851.00**	
			या—	**14,850.00**	

7— सातवें वर्ष— (रू 156/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार)

क0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर	प्रति है0 व्यय (2000पौध)	अभ्युक्ति
1	वनीकरण चौकीदार	2.506 है0 प्रति वर्ष	468रू0 प्रति है/माह	14,076.00	प्रति है0 प्रति वर्ष
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	2.506 है0	310.00	776.86	
			योग—	**14,851.00**	
			या—	**14,850.00**	

2.9 (c)

8– आठवें वर्ष– (रू 156/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार)

क0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर	प्रति है0 व्यय (2000पौध)	अभ्युक्ति
1	वनीकरण चौकीदार	2.506 है0 प्रति वर्ष	468रू0 प्रति है/माह	14,074.00	प्रति है0 प्रति वर्ष
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	2.506 है0	310.00	777.00	
			योग–	**14,851.00**	
			या–	**14,850.00**	

9– नंवें वर्ष– (रू 156/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार)

क0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर	प्रति है0 व्यय (2000पौध)	अभ्युक्ति
1	वनीकरण चौकीदार	2.506 है0 प्रति वर्ष	468रू0 प्रति है/माह	14,074.00	प्रति है0 प्रति वर्ष
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	2.506 है0	310.00	777.00	
			योग–	**14,851.00**	
			या–	**14,850.00**	

10– दसवें वर्ष– (रू 156/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार)

क0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर	प्रति है0 व्यय (2000पौध)	अभ्युक्ति
1	वनीकरण चौकीदार	2.506 है0 प्रति वर्ष	468रू0 प्रति है/माह	14,074.00	प्रति है0 प्रति वर्ष
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	2.506 है0	310.00	777.00	
			योग–	**14,851.00**	
			या–	**14,850.00**	
			महा योग–	**3,21,261.00**	
			या–	**3,21,300.00**	

दस वर्षीय योजना का कुल योग– 3,21,300.00(तीन लाख इक्कीस हजार तीन सौ) रू0 मात्र।

रू0 321300.00 ... जांच लिया

ई0प्रा0/प्रा0 अनुभाग
बद्रीनाथ व0प्र0, गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर रेंज
नारायणबगड़

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

2.10(a)

परियोजना का नामः-- अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निम्रण हेतु ग्राम –थापली सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारापेण हेतु ली गयी है। वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर (चमोली)

2.10(b)

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 1.253 है० सिविल/वन पंचायती भूमि का स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरेखण पर वृक्ष खड़े मौजूद हैं, जिनकी गणना प्रस्तावक विभाग वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण के समय की जा चुकी है। अतः शासनादेश संख्या 886/X–3/2011/8 (21)/2010 दिनांक 28.09.2011 तथा 883/X–3/2011/8 (21)/2010 दिनांक 04.01.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त सिविल/वन पंचायती भूमि कुल 1.253 है० है एवं वनभूमि में वृक्ष खड़े होने एवं वृक्षों का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक है।

अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु तैयार किया जाय।

16/1/2015

राजस्व उपनिरीक्षक चौकी तहसील कर्णप्रयाग (चमोली)

पटवारी

तहसीलदार
तहसीलदार
कर्णप्रयाग

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

2.11

परियोजना का नामः– अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 1.253 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात 2.506 हे0 में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लो0नि0वि0 द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

अमीन लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि.	सहायक अभियन्ता लो.नि.वि.	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

2.12

रिक्त पडे स्थान पर वृक्षारोपण प्राक्कलन

कार्य का नाम :– जनपद चमोली में नौली बाजार से थापली तक 4.00किमी0 मोटर में रिक्त पडें स्थान पर वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है. से किमी.	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति किमी. लाख में	धनराशि
1	2	3	4 2	5 800000
थापली सिविंल	4.00 किमी.	पौध का मूल्य – 100 पौध रोपण कार्य ट्री गार्ड का ढुलान मूल्य एवं तीन वर्षो तक अनुरक्षण	~~1.00~~ लाख रो. किमी.	~~4.00~~ लाख

रु0 800000 मात्र

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर रेंज

उप वन संरक्षक
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली

2.13

(34

परियोजना का नामः— अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस—पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

अमीन लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि.	सहायक अभियन्ता लो.नि.वि.	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

2.15

वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

जनपद – चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग निमार्ण हेतु 1.253 हे0 वन भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

वानस्पतिक नाम	क0 सं0	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
				10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90से अधिक	
Pinus roxburgii	1–	कौलसों जयपुर सिविंल	चीड़ हरा खड़ा	03	03	02	–	–	–	–	–	–	08
Cedrela toona			तुन	–	–	–	01	–	–	–	–	–	01
Carpinus viminea			खड़ीक	01	01	–	–	–	–	–	–	–	02
Bauhinia Variegate			कचनार	02	–	–	–	–	–	–	–	–	02
Andromeda	2–	थापली सिविंल	फणियाट	01	02	–	–	–	–	–	–	–	03
Pinus roxburgii			चीड़	07	07	09	01	–	–	–	–	–	24
Myrica esculenta			काफल	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
Cedrela toona			तुन	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01
Carpinus viminea			खड़ीक	02	–	01	–	–	–	–	–	–	03
Bauhinia variegate			क़चनार	02	02	01	–	–	–	–	–	–	05
Syzygium cumini			जामुन	02	–	–	–	–	–	–	–	–	02
Andromeda			मेहल	01	–	–	–	–	–	–	–	–	01
		योगः–		21	17	13	02						53

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर रैंज

(संतोष कुमार)
वन दरोगा

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर (चमोली)

2.18

कार्य का नामः— अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.253 हे. वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

बिन्दु-(5) न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र,

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.253 हे. वन भूमि हस्तान्तरण के लिए प्रस्तावित समरेखण के अर्न्तगत प्रभावित होने वाले वृक्षों को निर्माण कार्य के दौरान बचाते हुये कार्य किया जायेगा। जिससे कम से कम वृक्षों का पातन होगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

2.19(a)

MUCK DISPOSAL PLAN

2.19(b)

उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु योजना

जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु शासनादेश सं. 337/III(2)/09-4(प्रा०अ०)/2009 दि० 12-3-2010 के द्वारा 4.00 कि.मी. में स्वीकृति प्राप्त हुयी है। मार्ग निर्माण के समय पहाडी क्षेत्र में मोटर मार्ग निर्माण के समय प्रति कि.मी. औसतन 6 से 8 स्कपर छोटे व बडे नालों पर बनाये जाते है। उत्सर्जित मलवे को स्कपर के नीचे खड्ड साइड की ओर कम ढलान वाली जगह पर वायर क्रेट की दौहरी दीवार खडी कर मलवा डम्पिंग स्थल बनाए जायेगें। उसमें अधिकांश मार्ग से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण किया जायेगा। शेष बचे मलवे को सडक के किनारे खड्ड साईड में दीवार का निर्माण कर मलवे को भरान (Filling) में डाला जायेगा। उसके वाद अवशेष मलवे को सडक के सहारे ऐजवाल (Edge Wall) लगाकर एवं मार्ग के सुपरएलिवेशन में प्रयोग किया जायेगा। जिससे आस पास की वन सम्पदा को क्षति न होने पाये। इस प्रकार डम्पिंग स्थल बनाने से भूमिगत जल का रिचार्ज भी बढ जायेगा तथा भू–स्खलन की सम्भावना भी कम होगी। इस प्रकार पर्यावरण की क्षति भी कम होगी। साथ ही भू–वैज्ञानिक द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों पर पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग

2.19(c)

Name of the Work :- **Construction of Nauli bazar to thapli Motor Road under Atal gram sadak yojna.**

Material Received Due to Hill side Cutting	=	42000.00 Cum
Add Swell Factor @ 40%	=	16800.00 Cum
Total	=	**58800.00 Cum**

Use of Material -

Sl. No.	Length of Road	Item for Which Material is to be used	Quantity of Material Consumed (In Cum)
1	2	3	4
1	4.00	Stone Masonry in cement sand mortar	300.00
2	4.00	Stone Masonry laid Dry	2800.00
3	4.00	Hand Packed Stone Filling	2000.00
4	4.00	Construction of Wire Crates	3000.00
5	4.00	Granular Sub-Base (GSB)	2662.48
6	4.00	Construction of Parapets	217.88
7	4.00	Construction of Road Side Drain	800.00
8	4.00	Construction of Scuppers	1728.00
9	4.00	Concreting Works	515.00
10	4.00	Construction of Cooli Walling	600.00
11	4.00	Construction of Edge Stone	30.00
12	4.00	Construction of Causeway	200.00
13	4.00	GSB (Grading-1) Works	3169.16
14	4.00	G3 (Grading to be done using granulator at site)	1331.24
15	4.00	Super Elevation and Patri Filling	3500.00
		Total	**22853.76**

Material Left for Disposal	=	**(58800.00-22853.76) Cum**
	=	**35946.24 Cum**
As per the attached Detail, the capacity of the Dumping Zone	=	**36203.05 Cum**

Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag

Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag

Detail of Muck Disposal Sites

Name of the Work :- **Construction of Nauli bazar to thapli Motor Road under Atal gram sadak yojna.**

Sl. No.	Location of Dumping Yard	Type of Land	Khasra No.	Length (In m)	Width (In m)	Height of the Dumping Zone (In m)	Volume of the Dumping Zone (In Cum)	Latitude (N)	Longitude (E)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Km 1 Xs 0/0	Forest Land	-	35.00	10.00	4.00	1400.00	30°11'949"	79°17'270"
2	Km 1 Xs 0/23	Nap Land	323,324,334	50.00	26.80	4.60	6164.00	30°12'025"	79°17'184"
3	Km 2 Xs 1/2 to 1/4	Nap Land	174,175,176,177	42.66	30.00	4.75	6079.05	30°11'823"	79°16'995"
4	Km 3 Xs 2/24 to 2/26	Nap Land	1114,1117,1132,1116 ,1115,1113	50.00	23.20	5.00	5800.00	30°11'501"	79°16'831"
			1129,1130,1131,1133	26.00	25.00	4.60	2990.00	30°11'501"	79°16'831"
5	Km 4 Xs 3/7	Nap Land	580,581,582	50.00	22.00	4.50	4950.00	30°11'656"	79°16'693"
6	Km 4Xs 3/31	Nap Land	742,743,744	26.00	25.00	4.80	3120.00	30°11'451"	79°16'745"
7	Km 5Xs 4/6	Nap Land	552,554	38.00	30.00	5.00	5700.00	30°11'652"	79°16'642"
Total							**36203.05**		

Junior Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag

Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag

Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag

कार्य का नाम – अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

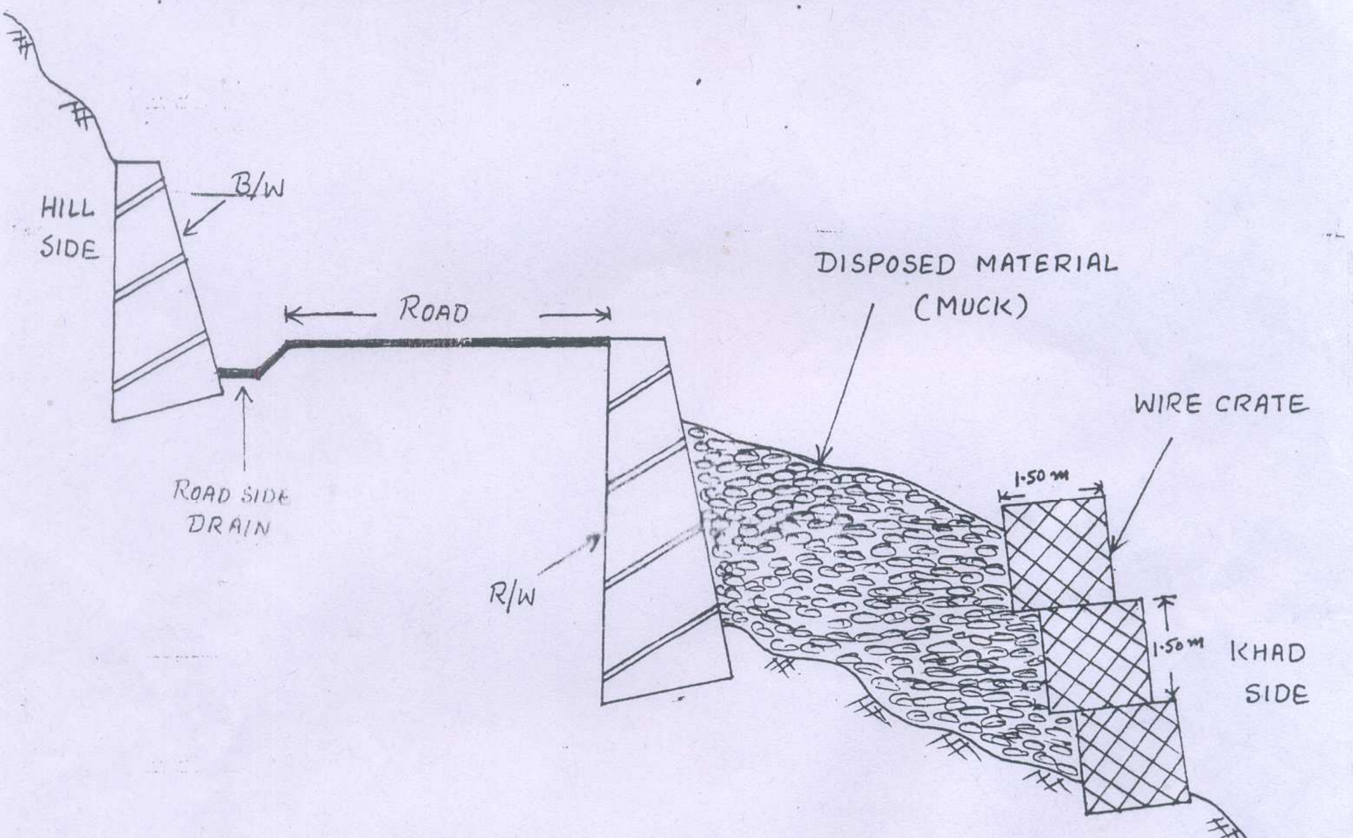

TYPICAL X-SECTION OF MUCK DISPOSAL PLAN

JE

AE

EE

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के अन्तर्गत श्री......श्री उमादत्त पुत्र बालिराम............ ग्राम कोल्सो मं, गूली चापती........मोटर मार्ग जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है, उस प्रयोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूं।

भवदीय

उमादत्त s/o बालिराम
गोपालदत्त s/o लोकानन्द
ग्राम- कोल्सों
प. क्षे. – चापली

का0सेक्षन....0/22 - 0/23........पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर ....श्री उमादत्त s/o बालिराम ग्राम....कोल्सों........ पटवारी वृत्त ....चापली.....जिला चमोली तहसील कर्णप्रयाग के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क0सं0	खाता न0 / खसरा नं0	भूमि क्षेत्रफल (हे0)
1	3 313	0.068
2	3 314	0.042
3	3 323	0.045
4	3 324	0.078
5	3 334	0.011
	योग	0.134 हे0

J.E

सहायक अभियन्ता
प्र0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के अर्न्तगत ~~श्री~~ नौली थापली मोटर मार्ग ग्राम कोलसों में मोटर मार्ग जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है, उस प्रयोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूं।

शिशुपाल लाल

भवदीय

शिशुपाल लाल पुत्र कमलालाल

ग्राम - कोलसों

प० क्षे० - थापली

का0सेक्षन 1/2 - 1/4 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर शिशुपाल लाल पुत्र कमलालाल ग्राम कोलसों पटवारी वृत्त थापली जिला चमोली तहसील कर्णप्रयाग के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क0सं0	खाता न0 / खसरा नं0		भूमि क्षेत्रफल (हे0)
1	55	174	0.030
2	55	175	0.011
3	55	176	0.016
4	55	177	0.005
5	55	179	0.013
6.	55	180	0.011
7	55	181	0.009
8	55	183	0.008
9	55	184	0.025
10	55	185	0.006
11	55	186	0.006
12	55	187	0.008
		योग	0.128 है.

JE

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के अन्तर्गत श्री गौली-चापली मोटर मार्ग ग्राम चापली मे मोटर मार्ग जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है, उस प्रयोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूं।

Gajadhar

भवदीय

गजाधर, बल्लभप्रसाद, देवी प्रसाद } पुत्र जानकी प्रसाद

का0सेक्षन 2/24-2/26 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर रविदत्त प्रसाद बल्लभ प्रसाद, देवी प्रसाद पुत्र जानकी प्रसाद ग्राम चापली पटवारी वृत्त चापली जिला चमोली तहसील कर्णप्रयाग के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क0सं0	खाता न0/खसरा नं0		भूमि क्षेत्रफल (हे0)
1	25	1114	0.025
2	25	1117	0.018
3	25	1132	0.005
4	25	1116	0.028
5	25	1115	0.015
6	25	1113	0.025
		योग	0.1160 हे0

J.E

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

राजस्व उपनिरीक्षक तहसील कर्णप्रयाग (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के ~~[illegible]~~ कर्णप्रयाग ब्लॉक के अन्तर्गत श्रीमती वचुली देवी पत्नी श्री विश्वेश्वर दत्त एवं जमुनाप्रसाद पुत्र कमलापति .... मोटर मार्ग जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है, उस प्रयोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ।

भवदीय

चन्द्र बल्लभ [illegible]

(1) श्रीमती वचुली देवी
पत्नी विश्वेश्वर दत्त

(2) जमुना प्रसाद
जमुना प्रसाद S/o कमलापति

का0 सेक्शन 2/24 – 2/26 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर श्रीमती वचुली देवी पत्नी विश्वेश्वर दत्त एवं जमुनाप्रसाद S/o कमलापति ग्राम व्यापकी प0 वृ0 व्यापकी जिला चमोली तहसील कर्णप्रयाग के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क0 सं0	खाता नं0 / खसरा नं0		भूमि क्षे0(हे0)
1.	12	1129	0.018
2	12	1130	0.014
3	12	1131	0.015
4	12	1133	0.018

योग 0.065 हे0

ग्रा0 उपनि0
व्यापकी

[signature]
JE

[signature]
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

(Stamp: उप निरीक्षक तहसील कर्णप्रयाग (चमोली))

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के अन्तर्गत श्री गिरीशचन्द्र S/o रामप्रसाद
नौली से थापली तक मोटर मार्ग जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है, उस प्रयोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ।

भवदीय

[signature]
श्री गिरीशचन्द्र S/o रामप्रसाद
ग्राम- व्यापली
पो०- नौली
प० क्षे०- व्यापली

का0 सेक्शन 3/6 – 3/7 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर गिरीशचन्द्र पु० रामप्रसाद ग्राम व्यापली प0 वृ0 व्यापली जिला चमोली तहसील कर्णप्रयाग के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क0 सं0	खाता नं0	खसरा नं0	भूमि क्षे0(हे0)
1	20	578	0.066
2	20	580	0.031
3	20	579	0.018
4	20	581	0.018
5	20	584	0.030
6	20	582	0.061
7	20	585	0.020
		योग –	0.244 हे0

[signature] JE

[signature] सहायक अभियन्ता प्र0ख0लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

[signature] रा० उप नि० व्यापली

[stamp: उपनिरीक्षक तहसील कर्णप्रयाग (चमोली)]

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के अन्तर्गत श्री राजेन्द्रप्रसाद पु० मुकुन्दराम ग्राम: व्यापली मोटर मार्ग जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है, उस प्रयोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ।

भवदीय
राजेन्द्रप्रसाद
राजेन्द्रप्रसाद पु० मुकुन्दराम
ग्राम - व्यापली
प० क्षेत्र - व्यापली
तह० - कर्णप्रयाग

का० सेक्शन 3/31 - 3/32 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर श्री राजेन्द्रप्रसाद पु० मुकुन्दराम ग्राम व्यापली प० वृ० व्यापली जिला चमोली तहसील कर्णप्रयाग के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क० सं०	खाता नं०	खसरा नं०	भूमि क्षे०(हे०)
1-	21	735	0.021
2-	21	736	0.018
3	21	742	0.023
4	21	737	0.025
5	21	743	0.033
6	21	744	0.009
		योग	0.129 हे०

J.E

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
कर्णप्रयाम

ग्रा० उपा० व्यापली

ग्राम उपनिरीक्षक तहसील कर्णप्रयाग (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के थराली ब्लॉक के अर्न्तगत श्री राजेन्द्रप्रसाद s/o श्री मुकुन्दराम ग्राम- व्यापली मोटर मार्ग जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है, उस प्रयोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ।

भवदीय
राजेन्द्रप्रसाद
राजेन्द्रप्रसाद
s/o मुकुन्दराम
ग्राम- व्यापली
पो० - नौली
प० क्षेत्र - व्यापली

का0 सेक्शन 4/5-4/6 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर श्री राजेन्द्रप्रसाद पुत्र मुकुन्दराम ग्राम व्यापली प0 वृ0 व्यापली जिला चमोली तहसील कर्णप्रयाग के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क0 सं0	खाता नं0/खसरा नं0		भूमि क्षे0(हे0)
1-	21	551	0.066
2.	21	552	0.081
3	21	554	0.033
		योग:-	0.180 हे0

J.E.

सहायक अभियन्ता
प्र0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

रा0 उ0नि0
व्यापली

तहसील कर्णप्रयाग (चमोली)

कार्य का नाम - अटल आदर्श ग्रामयोजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग में नौलीबाजार से थापली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

Muck Disposal no 1 Km 1 XSection 0/0

Muck Disposal no 2 Km 1.0 X Section 0/23

कार्य का नाम - अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग का निर्माण,

Muck Disposal no 3 Km 2 X Section $\frac{1}{2}$ to $\frac{1}{4}$

Muck Disposal no 4. Km 3 X Section $\frac{2}{24}$ to $\frac{2}{26}$

J.E

कार्य का नाम - अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

Muck Disposal no 5 Km 4 XSection $\frac{3}{7}$

Muck Disposal no 6 Km 4 XSection $\frac{3}{32}$

JE

A.E

कार्य का नाम - अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

Muck Disposal no 7 Km 4 XSection 4/6

J.E

2.20(a)

परियोजना का नामः— अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली उपरोक्त परियोजना में सिविल/वनपंचायती/ आरक्षित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा नही है।

वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र नारायणबगड़

उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर(चमोली)

2.20(b)

<u>राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र,</u>

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकास ,खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तरगत नौरनी-व्यापली मोटर मार्ग में ,जो सिविल/ वन पंचायती/ आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है वह राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है । उक्त मार्ग के राष्ट्रीय पार्क से दूरी लगभग 60 कि.मी. है।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर रेंज
गैरसैण

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

2.23

परियोजना का नामः— उत्तम आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग में नौटी बाजार से थापली तक मोटर मार्ग का निर्माण

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजनंा के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है।

सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ प्रभाग गोपेश्वर

2.24

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लो० नि० वि० कर्णप्रयाग द्वारा जयपुर बैण्ड से ग्राम थापली तक मोटर मार्ग का सर्वेक्षण किया जा गया जिस पर समस्त ग्रामवासीयो की सहमति है तथा किसी भी ग्रामवासी को कोई भी आपत्ति नही है। ग्राम थापली से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस सर्वेक्षण में कोई भी पाइप लाइन व नहर नही पड़ती है।

केशवानन्द

घनानन्द

प्रेमी ..

[illegible]

Lalita

सुमन देवी

माहेश्वरी देवी

Pushpa

Saraswati

P.C. [illegible]

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.
कर्णप्रयाग (चमोली)

2.27

परियोजना का नामः— अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

2.28 (a)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1

लोक निर्माण विभाग

देहरादून।

आख्या संख्या 90/2294/10

जनपद चमोली में नौली बाजार से ग्राम थापली मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

नवम्बर 2010

2.28 (b)

जनपद चमोली में नौली बाजार से ग्राम थापली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग के अन्तर्गत 3.200 कि0मी0 लम्बाई में नौली बाजार से ग्राम थापली मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग चमोली के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.05.2010 को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता श्री वी0एस0 पुण्डीर एंव कनिष्ठ अभियन्ता सुश्री पूजा नेगी के साथ निरीक्षण किया गया।

2. अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत नौली बाजार से थापली मोटर मार्ग का 7.00 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखनो पर सर्वेक्षण किया गया है। समरेखन संख्या दो के अनुसार मार्ग की लम्बाई बढ़ने एंव समरेखन के तकनीकी रूप से उपयुक्त न होने के कारण खण्ड द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित समरेखन बगोली कोटी मोटर मार्ग के कि0मी0 1.150 में जयपुर बैण्ड से आरम्भ होता है तथा ग्राम पखुण्डा होते हुये थापली को जोड़ता है। समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग की वास्तविक लम्बाई 3.200 कि0मी0 होगी। समरेखन में चार हेयर पिन बैण्ड्स है, जो कमशः कास सैक्शन 0/11, 0/19, 1/23 तथा 1/38 में दिये गये है। अवगत कराया गया कि समरेखन की लगभग 2.00 कि0मी0 लम्बाई नाप भूमि से एंव शेष 1.200 कि0मी0 लम्बाई सिविल सोयम भूमि से होकर गुजरती है। नाप भूमि में पहाड़ी ढलान सामान्यतः 20^0 से 35^0 के मध्य प्रतीत होता है। जबकि सिविल भूमि में ढलान लगभग 50^0 तक है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नही हुई।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू–आकृति एंव उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहां इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बेण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाये जाये।

(ग) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाये अन्यथा फर्म स्ट्रेटा न होने की स्थिति में मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।

(घ) यह सुनिश्चित किया जाये कि मार्ग कटान के मलवे से नौली बाजार अथवा ग्वालदम–कर्णप्रयाग मोटर मार्ग को कोई क्षति न हो।

(ड) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(च) समरेखन में अपेक्षाकृत तीव्र पहाडी ढलान वाले भाग को यथासम्भव बचाते हुये सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये, जिससे भविष्य में कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

2.28 (c)

(छ) जहां मार्ग कटान की ऊचांई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, विशेष रूप से जहां बैण्ड्स के कारण मार्ग की आर्म्स एक दूसरे के ऊपर हो, उस भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

(ज) जहां आवश्यक हो, मार्ग से ऊपर व नीचे पहाडी ढलान पर समुचित पौधो का रोपण किया जायें, जिससे ढलानो पर भूक्षरण की प्रकिया को नियंत्रित रखा जा सके।

(झ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एंव स्कपर का प्रावधान किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(ण) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एंव विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नव निर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दुः–

(क) मार्ग के कटान के पश्चात हिल साईड मे जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।

(ख) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सकिय हो सकते है तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती है, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियो में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जायें।

5. नौली बाजार से ग्राम थापली मोटरं मार्ग हेतु 3.200 कि0मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणीः–

(1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एंव खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाए।

(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)भातात 50/05 दि0 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

H. Kumar 10.11.10
भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभि स्तर-1
लो०नि०वि० उत्तरांचल
देहरादून

2.29 (a)

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

2.29 (b)

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

अमीन लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि.	सहायक अभियन्ता लो.नि.वि.	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

2.30 to 2.31 (a)

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होंते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गो को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

2.30 to 2.31 (b)

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

अमीन लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि.	सहायक अभियन्ता लो.नि.वि.	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

2.32

परियोजना का नामः--- अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान लो0नि0वि0 द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

अमीन लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि.	सहायक अभियन्ता लो.नि.वि.	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

2.33

परियोजना का नामः— अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

पटवारी क्षेत्र

तहसीलदार
कर्णप्रयाग (चमोली)

उपजिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला अधिकारी
चमोली

जिलाधिकारी
चमोली

2.34

परियोजना का नामः— अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

<u>वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य / रख–रखाव के दौरान लो0नि0वि0 द्वारा वन्य जीव / स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

अमीन लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि.	सहायक अभियन्ता लो.नि.वि.	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

2.35

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु सिविल भूमि के प्रस्ताव।

परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को जलौनी लकडी/ कुकिंग गैस आदि उपलब्ध कराया जाना।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ~~प्रस्तावित~~ प्रस्तावित मार्ग निर्माण में कार्य करने वाले श्रमिकों अथवा कर्मचारियों के लिए निर्माण एजेन्सी विभाग डीजल एवं मिट्टी का तेल की आपूर्ति ईधन के रूप में करेगा, वन्य जलौनी लकडी का उपयोग उक्त कार्य में नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

2.36

परियोजना का नामः— अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
थापली	....	222
कोल्सों	....	298
सलियाणा	....	151
	योगः—	671

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

2.37

इको क्लास/एन0पी0वी का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम– जनपद–चमोली में अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.253 है0 सिविल भूमि तथा बांजबगड़–तेलान हल्का वाहन मार्ग किमी0 9 का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं 10 से 12 तक वन भूमि को लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के अन्तर्गत पड़ने वाली वन भूमि ईको क्लास V Dense Forest के अन्तर्गत आता है। जिसका एन0पी0वी0 का मूल्य 1.253 हे0 प्रति है0 X 845000.00/– की दर से रू0= 1058785.00/– (रू0 दस लाख अठ्ठावन हजार सात सौ पिचासी) मात्र होता है।

(जी०सी० सिंह)
उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

2.38

परियोजना का नामः— अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लो0नि0वि0 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लो0नि0वि0 द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अमीन लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि.	सहायक अभियन्ता लो.नि.वि.	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

2.41

(6)

परियोजना का नामः– अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

अमीन लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि.	सहायक अभियन्ता लो.नि.वि.	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

2.42

परियोजना का सीमांकन का प्राक्कलन

जनपद चमोली में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग निमार्ण हेतु 4.00 कि0मी0 का लो0नि0वि0 को हस्तांतरण के संबंध में सीमांकन का प्राक्कलन

क0 सं0	विवरण /इकाई	कुल किमी0	दर प्रति किमी0	धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5
1—	आर0सी0सी0 पिलर (मुनारा) बनाना 1:6 मसाले सीमेंट में मय प्लास्टर करना दो कोट चूना सफेदी नम्बर करना	4.00 किमी0	11640	46560.00

रू0....46560/-

प्रभागीय वनाधिकारी
पश्चिमी पिण्डर रेंज
... थराली

उप वन संरक्षक
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

2.44 (a)

(2)

फैक्ट शीट

1:–परियोजना का नाम :– **जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग में नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण ।**

2:– प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है. में) 1.253 है.

आरक्षित वन भूमि–		–शून्य –
सिविल एवं स्वयं वन भूमि:–	1790 मी. X 7 मी.–	1.253 है.
वंन पंचायती भूमि–	– मी. X – मी.–	– है.,
निजी भूमि –	2210 मी. X 7 मी.–	1.547 है.
योग:–		2.80 है.
मकडिस्पोजल क्षेत्रफल (सिविल सोयम भूमि)		0.035 है. → 2.835 है.

3:– प्रस्तावक विभाग का नाम :– प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.कर्णप्रयाग,

4:– वन प्रभाग का नाम :– बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

5:– प्रस्ताव बांइडिंग किया गया है:– हॉ/ नहीं

6:– प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है:– हॉ/ नहीं

7:– क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग –1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। हॉ/ नहीं

8:– क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है– हॉ/ नहीं,

9:– प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है:– हॉ/ नहीं

10:–प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/ संलग्न है:– हॉ/ नहीं

11:– बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है– हॉ/ नहीं

12:– प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावत विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। हॉ/ नहीं

13:–समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है:– हॉ/ नहीं,

14:– क्या वृक्षों की संख्या अनुसार हरियाली का घनत्व सही है:– हॉ/ नहीं

15:– क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है– हॉ/ नहीं

2.44 (b)

16:– क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है:– हॉ / नहीं

17:– प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर / परियोजना के आस-पास रिक्त पडे स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है:– हॉ / नहीं

18:– क्या परियोजना क्षेत्र बन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है:– हॉ / नहीं

19:– प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है:– हॉ / नहीं

यदि हॉ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है:– हॉ / नहीं

20:– क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है:– हॉ / नहीं

21:– प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें):– नयाप्रस्तावित हॉ / नहीं

22:– क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा गया है:– हॉ / नहीं

23:– यदि सडक का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है:– हॉ / नहीं

24:– क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है:– हॉ / नहीं

25:– यदि उल्लघंन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय:– हॉ / नहीं

26:– सडक निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं:– हॉ / नहीं

27:– वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय):– संलग्न

28:– लागत लाभ विश्लेशण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है(5 है. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा):– हॉ / नहीं

29:– मानचित्र व बार चार्ट में एक रूपता है:– हॉ / नहीं

2.44 (c)

30:– मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है:– हॉ/ नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण –पत्र संलग्न है:– हॉ/ नहीं

31:– राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण –पत्र प्रस्ताव में संलग्न है:– हॉ/ नहीं

32:– क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतियॉ मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियॉ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है:– हॉ/ नहीं

33:– यदि वन भूमि लीज पर दी है तो लीज अवधि का प्रमाण–पत्र, संलग्न है:– हॉ/ नहीं

34:– वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है:– हॉ/ नहीं

35:– क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण–पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है:– हॉ/ नहीं

36:– क्या वैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र –संलग्नः– हॉ/ नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है समस्त प्रमाण –पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।

SITE INSPACTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from ---अधि० अभि० प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०--- for diversion under FCA-1980) of 1.253 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of ---ग्राम ... में औंधी बाजार से थापली तक मोटर मार्ग--- The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated---4-5-11

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring ---1.253--- ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of - N.A.

Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required.-

a) ✓ The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) ✗ It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature) उप वन संरक्षक
Name ... बद्रीनाथ वन प्रभाग
Designation गोपेश्वर (चमोली)
Office Seal

Place: गोपेश्वर
Date: ...

N.B.— x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.